NT>

Title: Need to review the list of recognised CGHS hospitals in Nagpur.

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, सी.जी.एच.एस. के बारे में मेरा भी निवेदन है कि केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा यह व्यवस्था की गई है और इसके लिए जो अस्पतालों का चयन होता है, उसके कुछ मापदंड हैं, लेकिन उनके बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अभी हाल ही में जो लिस्ट नागपुर के लिए अधिकृत की गई है उसमें उन मापदंडों का अनुपालन नहीं किया गया है जिससे जनता में बड़ा रोा है। ऐसे अस्पतालों को केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा अधिकृत करते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि उनमें मापदंडों के अनुसार जो सुविधाएं और व्यवस्थाएं होनी चाहिए वे उपलब्ध हैं या नहीं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ ऐसे अस्पतालों को अधिकृत किया गया है जिनमें कम से कम 30 बिस्तर होने की संख्या जो अनिवार्य है, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया है। 30 बिस्तर से कम बिस्तर वाले अस्पतालों, कहीं-कहीं तो केवल मात्र पांच बिस्तर वाले अस्पतालों को अधिकृत कर दिया गया है। इसी प्रकार कुछ ऐसे अस्पतालों को भी अधिकृत किया गया है जहां न्यूनतम जांच एवं चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। इससे वहां की जनता में बड़ा रोा है।

अध्यक्ष जी, विगत कुछ वार्ों में अच्छे-अच्छे अस्पतालों का निर्माण नागपुर में हुआ है जहां चिकित्सा की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनका सदुपयोग किया जाना चाहिए और उन्हें सी.जी.एच.एस. द्वारा अधिकृत किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मंत्रालय में इस बारे में जो निर्णय लेने वाले लोग या संस्थाएं हैं वे गलत अस्पतालों का चयन करती हैं जिसके कारण इस योजना का जितना लाभ केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। अभी 39 ऐसे अस्पतालों का चयन किया गया है जहां चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस बारे में मैंने मंत्री जी को पत्र लिखा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से अर्ज करना चाहूंगा कि वर्तमान लिस्ट को खारिज कर के मापदंड के आधार पर अस्पतालों का चयन किया जाए।